फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 588/2024

तरसी बनाम कैलाश

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.10.2024	यह दावा अधिवक्ता श्री भगवान सहाय यादव द्वारा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिश्ता होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। निर्देशित किया जाता है कि आदेश 5 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से प्रतिवादियों को सम्मन जरिये रजि. डाक करायी जावें, इस हेतु सम्मन जारी होकर वादी को दस्ती दिए जावें। वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को उनकी संख्या के अनुसार सादे कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां इस आदेश की तिथि से सात दिवस के भीतर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश हो। उपरोक्तानुसार सम्मन जारी होकर इन्तजार तामील दिनांक 07.11.202[illegible] को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
	7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
	18/11/24	पत्रावली पेश हुई/ ... /कार्य कन्डोलेन्स [illegible] जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 20/12/24 को पेश हो।	